

दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

अहकाम जो इ
हुक्म की तारी
में जारी हु

12-22

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 27-12-22 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

17-12-22

पत्रावली पेश हुई, वकील शर्मागण उपस्थित, विपक्षी का सम्मन बाद वापस लेकर वापस हुआ जिले शाहपूर किया गया। वकील शर्मागण का शाहपूर स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शाहपूर किया गया। पत्रावली फलतः नुमांर लेकर नम्बर से कम ले।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुयम की तारीख
में जारी हुआ

जोन अधिकारी- नारायण लाल जोनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 261/22 प्रा.पत्र

प्राथी 010 हजारी कंजर निवारी-रेशन नगर तहसील-माण्डल (कौंस)

-प्रार्थी

बनाम

जलपान राष्ट्र जरिह तहसीलदार-रा. माण्डल तहसील-माण्डल
(प्रसंगिक प्रपत्र धारण)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27-12-22

::आदेश::

1. ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम संतोकेपुरा पटवार हल्का संतोकेपुरा तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 313, 314 कुल किता 02 रकबा 0-6077 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये मा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की गी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26-12-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

ग प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम संतोकेपुरा पटवार संतोकेपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 313, 314 किता 02 रकबा 0-6077 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी देने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख मोला को 500/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने हान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार पत्थरगढी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

1:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा